Form No.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम श्रीडूंगरगढ
सुशील कुमार पुत्र जयचन्दलाल जाति बिहानी निवासी बिग्गा वास, श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर बनाम अयुब वगैरह

राजस्व वाद मुकदमा नम्बर 73/2024 U/S 53,188 RTA

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
06.05.2024	आज यह वाद सुशील कुमार ने जरिये श्री मांगीलाल नैण अधिवक्ता मार्फत पेश किया। वादी को 80(2) सीपीसी प्रार्थना पत्र पर सुना गया। वाद दर्ज रजिस्टर हों। प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड एडी सम्मन तलब कर पत्रावली आयन्दा दिनांक 13.06.2024 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ	
13.06.2024	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। SDO Sb अन्य राजकार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली वास्ते Reply Ad तलबी हेतु दिनांक 30.07.2024 को पेश हों। रीडर	
30.07.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील ..... वकील फरीकेन उपस्थित। ..... हेतु समय चाहा। समय दिया जाकर पत्रावली वास्ते जवाब सरकार व तलबी प्रतिवादी सं. 1 Reply Ad आईन्दा दिनांक 05.09.2024 को पेश हों।	
05.08.2024	पत्रावली वादी के जरिये अधिवक्ता प्रा.पत्र मिसल पेशी में लेने का पेश करने पर पेशी में लिया गया। प्रा. पत्र शामिल पत्रावली हो। वादी/प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत विड्रो देने पेश कर निवेदन किया गया कि दावा में पक्षकारान ने आपसी समझाइश से राजीनामा अदालत में दायर कर दिया है, अब पक्षकारान ने [illegible] कोई वाद-विवाद शेष नहीं [illegible] प्रार्थी के अनुवानी दावा [illegible] विड्रो करने की अनुमति प्रदान करें अता फर्मावें। [illegible] द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र जरिये विड्रोवल के आधार पर वादी वाद जरिये विड्रोवल में डिक्री स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली वाद तकमील प्रतिवादिगण कार्यालय में दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)	Bihani

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2024.08.16 18:07:21 IST
Reason: SelfAttested